न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/210/2014

उनवान

1. दीपक सिंह आत्मज हिंगलाज सिंह चारण निवासी भाकरोदा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

अपीलाण्ट

बनाम

1. देबी लाल पिता कल्याण कीर निवासी जामोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 02/2013 निर्णय एवं दिनांक 27.11.2014

अधिवक्तागण :–

1. श्री विकास जायसवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जामोली में अप्रार्थी देबी पिता कल्याण कीर के नाम राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 264/32 रकबा 4 बीघा भूमि गैर खातेदारी हक दर्ज थी। उक्त भूमि अप्रार्थी को दिनांक 23.4.1971 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। इस तथ्य को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

छिपाते हुए अप्रार्थी ने अपने एवं अपने संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई भूमि नहीं होना बताते हुए दिनांक 10.1.1983 को आराजी नम्बर 264/45 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन करा लिया । जो निरस्त योग्य है। आराजी नम्बर 264 में से 5 बीघा भूमि सत्यनारायण पिता उदानाथ से अपीलार्थी ने क्रय की है जिस पर वह काबिज है। आवंटी/अप्रार्थी उक्त आवंटन की आड में प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी को जो भूमि आवंटित की गई है, उसका सिपुर्दगी नक्शा पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है ,उस पर आवंटन से आज तक अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की है। दिनांक 10.5.2010 को सत्यनारायण नाथ एवं देबीनाथ पिता कल्याण कीर को प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार जहाजपुर के आदेश सेपटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें आराजी नम्बर 264/32 एवं रास्ता काला दांता के मध्य की आराजी पर कब्जा सत्यनारायणनाथ का कब्जा दर्शाया गया है। जिस पर देबी कीर के साथ–साथ अन्य के भी हस्ताक्षर है। अतः दिनांक 101.83 को उक्त आवंटित भूमि आराजी नम्बर 264/45 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी/विपक्षी ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तथ्यों को छिपाते हुए आवेदन किया । प्रत्यर्थी/विपक्षी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम जामोली तहसील जहाजपुर में दिनांक 23.4.1971 को आराजी संख्या 264 में रकबा 4 बीघा आवंटित हुई थी। जिसका गैर खातेदारी हक का इन्द्राज इन्तकाल दिनांक 25.5.1971 को देबी पिता कल्याण कीर/प्रत्यर्थी के नाम खुला जो वर्तमान में आराजी नम्बर 264 मे से तरमीम होकर वर्तमान में आराजी नम्बर 264/32 के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी दिनांक 10.1.1983 को आवंटन समिति के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया कि '' मेरे पास या मेरे संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खेती करने के लिए कोई भूमि नहीं है।'' इस प्रकार अपने आपको भूमिहीन बताकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर आराजी संख्या 264/45 में वादग्रस्त आराजी रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन अपने नाम करा लिया।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का ने 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन आवंटन करने की अभिशंषा की थी। जबकि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में 3 बीघा भूमि का ही आवंटन चाहा गया था। परन्तु आवंटन समिति द्वारा चाहे गये अनुतोष से अधिक 4 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाथी ने आराजी नम्बर 264 में से 5 बीघा भूमि सत्यनारायण पिता उदानाथ से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जिस पर अपीलार्थी वर्तमान में काबिज है। प्रत्यर्थी देबी पिता कल्याण कीर गलत आवंटन के जरिये अपीलार्थी की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी पर गलत आवंटन के आधार पर जबरन कब्जा करना चाहता है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार साहब जहाजपुर के आदेश से दिनांक 10.5.2010 को पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जिसकी प्रमाणित प्रति में कब्जा आराजी संख्या 264/32 एवं रास्ता काला दांता के मध्य की आराजी पर सत्यनारायण नाथ का दर्शाया गया है। उक्त मौका पटवारी रिपोर्ट पर देबी कीर स्वयं प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट में स्वयं प्रत्यर्थी ने कब्जा सत्यनारायण पिता उदा कीर का होने का कथन किया है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी देबी पिता कल्याण कीर को जो भूमि आंवटन हुई है । उसका नक्शा पत्रावली में संलग्न है। सिपुर्दगी नक्शे वाली भूमि पर आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस कारण अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की भी पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी को किया गया वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या अनुपस्थित ।

10. राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी को आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन का पात्र होने से वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया है। जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है वह न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । प्रत्यर्थी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवंटन हेतु आवेदन करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए किया है। उक्त आवंटन हुए काफी लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका है। अपीलार्थी का यह कथन कि उसने आराजी नम्बर 264 में से 5 बीघा भूमि क्रय की है। जिस पर प्रत्यर्थी उक्त आवंटन की आड में कब्जा करना चाहता है। परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थी की भूमि पर प्रत्यर्थी/आवंटी जबरन कब्जा करना चाहता हो। ऊदानाथ को आवंटित भूमि आराजी नम्बर 264/40 है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1279 दिनांक 16.6.80 को किया गया है। जहॉ तक आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने का संबंध है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवंटी/प्रत्यर्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना साबित होता है। जहॉ तक देवी के पिता के नाम पूर्व से ही 40 बीघा जमीन दर्ज होने का कथन है , उक्त भूमि का विरासत का इन्तकाल कल्याण के सभी उत्तराधिकारियों के नाम वर्ष 2001 में (दिनांक 26.2.2001) को हुआ है। जबकि देबी को आवंटन वर्ष 1983 में ही हो चुका था। उक्त भूमि पुश्तैनी रही हो, ऐसा कोई साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2014 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

21/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी